

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद ।

निविदा आमंत्रण सूचना

संख्या - 01/2011-12

1. विज्ञापन दाता का नाम - उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद ।
2. परिमाण विपत्र की विक्री की तिथि - 24.05.2011 तक कार्यालय अवधि में।
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय - 06.06.2011 को 1.00 बजे अपराह्न तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 06.06.2011 को 3.00 बजे अपराह्न तक
5. परिमाण विपत्र की विक्री का स्थान - उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद ।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान - उप विकास आयुक्त का कार्यालय मिश्रित भवन, धनबाद ।
7. कार्य की सूची

क्र०	कार्य	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति का अवधि
1	मिश्रित भवन स्थित अभिकरण कार्यालय से संबंधित कार्यालय कक्षों का सौन्दर्यीकरण एवं पेयजल की व्यवस्था	6,38,434 /-	15,000 /-	1,250 /-	2(दो माह)

LEWV  
20/5/11

उप विकास आयुक्त,  
धनबाद ।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक 869 / डी0आर0डी0ए0, धनबाद दिनांक 23.05.11  
सम्पादक, हिन्दुस्तान प्रगति-संस्करण, दैनिक जागरण, आज  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि डी0ए0भी0पी0 दर पर न्यूनतम आकार में दो हजार रू0 मात्र की अधिसीमा के अन्दर स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करेंगे।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा सूचना एवं शर्तें धनबाद के बेवसाईट पर प्रकाशित करेंगे।

Dr. 1/12

LEWV  
20/5/11  
निदेशक

LEWV  
20/5/11

उप विकास आयुक्त,  
धनबाद ।

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद ।

## नियम एवं शर्तें

1. झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत समुचित श्रेणी से नियमित संवेदक है।
2. निविदाकारों को व्यक्तिगत रूप से पहचान पत्र के साथ/बैद्य प्राधिकार प्रस्तुत करने पर ही निविदा कागजात दिये जायेंगे।
3. निविदा के साथ अद्यतन आयकर/वाणिज्यकर/लेवर लाईसेंस निबंधन की अभिप्रमाणित प्रतिसंलग्न करना आवश्यक है।
4. सरकार द्वारा स्वीकृत वर्तमान दर पर मजदूरी भुगतान करना अनिवार्य होगा।
5. परिमाण विपत्र का मुल्य जिसकी वापसी नहीं की जायेगी। बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से लिया जायेगा, जो उप विकास आयुक्त, धनबाद के पदनाम से देय होगा।
6. अग्रधन की वांछित राशि उप विकास आयुक्त, धनबाद के पदनाम से जमा करना अनिवार्य है।
7. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। बिना वैद्य कारण के किसी भी प्रकार का अवधि विस्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. परिमाण विपत्र में दर्शाये गये दर से 15 प्रतिशत से अधिक कम की निविदा दर अमान्य होगा।
9. निविदा देने से पूर्व कार्यस्थल एवं निर्माण सामग्रीयों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी सुनिश्चित कर लेंगे। संतुष्ट होने पर ही निविदा समर्पित करेंगे।
10. कार्य आवंटन के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर फार्म एफ-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा बिलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार विपत्र में अंकित राशि प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मुल्य मान्य होगा।

DR/W.

18.5.11  
निदेशक

20/5/11

उप विकास आयुक्त,  
धनबाद।

(1)